

आज ही जारी हो
न्यायिक प्रकरण

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- 1093-1146

दिनांक:- 3.2.2015-

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।

समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय जी.आर.पी जयपुर।

समस्त उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर

समस्त पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय:- डायन प्रथा के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

डी.बी. सिविल रिट(पी.आई.एल.) पिटिशन संख्या 5324/2010 राजस्थान राज्य बनाम शंकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उनके आदेश दिनांक 24.09.14 एवं 11.12.14 में अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों में डायन प्रथा की घटनाओं के प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही को पर्याप्त नहीं माना है एवं अप्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम एवं इनसे सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शासन सचिव, गृह(ग्रुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(13) गृह-13/04 दिनांक 16.09.2004 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या प.6(1) पु.अ./भ.अ. /पॉलिसी/01/3723-69 दिनांक 07.10.04, 8051-59 दिनांक 03.12.10 एवं 5229-5240 दिनांक 09.09.2011 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

अतः पुनः लेख है कि डायन प्रथा से सम्बन्धित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर पूर्व में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ओमेन्द्र भारद्वाज)

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स/ए.एच.टी. राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप-13) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या प. 10(1) गृह-13/2014 दिनांक 16.01.15 के क्रम में।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
गृह (भुप-13) विभाग

प.6(13)गृह-13/04

जयपुर, दिनांक 16.09.2004

15

घरिपत्र

घिषय:- महिला अत्याचारों (विशेष रूप से डायन प्रथा) के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में।

ऐसा कि चिदिता है, महिलाओं पर अत्याचार का विषय अत्यन्त ही गम्भीर एवं संघेदनशील है। यद्यपि महिलाओं पर अत्याचार के कारण दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय-सामय पर दिशा निर्देश दिये गये हैं इन प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही चांचनीय होती है, परन्तु पिन पी गुज ऐरो प्रवर्तन होते हैं, यिशेकर दूर दराज, प्राप्तीण लेन्ड्री में, जिनमें तत्काल पुलिस कार्यवाही में पिलम्ब होता है जिसरों अभियुक्त गण के विरुद्ध अन्वेषण के द्वारान साक्षण एकत्रित करने एवं गांधित कार्यवाही करने में कठिनाई आती है और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं पिल पाता है। इसरों जन-पानस पे आकोश उत्पन्न होता है।

आज के इस घैडानिक सुग में महिलाओं पर अत्याचार होना विशेष रूप से डायन प्रथा द्वारा कुरीतियों की वजह से समाज को कुछ लोगों द्वारा खिली भी महिला को डायन बराबर उसे अमानवीय यातनाये देना, रायजनिक रूप से बेइज्ञात करना एवं निर्मम हत्या करने का घोर निन्दनीय घट्य सम्बन्ध आता है। जिसकी तत्काल रोकथान किया जाना आवश्यक है।

अतएव ऐरो प्रकरणों में निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाएँ-

1. ऐसे प्रकरणों को तत्काल दर्ज किया जाकर उरावन शीघ्र अनुसंधान कर, अन्वेषण का नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। विसी रिपोर्ट वी प्रतीक्षा न की जावे।
2. बिना समय व्यतीत किये पीड़िता का चिकित्साकीय परीक्षण कराया जावे।
3. इन प्रकरणों का अनुसंधान रांबंधित यृत्ताधिकारी के पर्योक्षण में कराया जाये।
4. अधिवोग दर्ज करने के पश्चात पीड़िता के द.प्र.स. वी धारा 161 के अन्तर्गत अधिलाल्य गयान दर्ज कराये जाये।
5. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं महानिरीक्षक रैज अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रकरणों की पालिका/मारिक रापीका कर यह सुनिश्चित करें कि दर्ज प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही वी जा रही है। विशी भी लोक में डायन प्रकरण घटित होने एवं उस पर तत्काल कार्यवाही नहीं होने की देशा में संबंधित यृत्ताधिकारी वी जिमोकारी, एवं जयाबदेही सुनिश्चित वी जावे।
6. डायन होने की मिथ्या परिकल्पना वी जाती है, जो अवैध है। गत प्रचार प्रसार के पाठ्यम से इस कुरीति को हटाने का प्रयत्न किया जावे।

३२८८
विशिष्ट शासन राजिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रापुख शासन सचिव, महिला एवं गांव विकास विभाग।
2. प्रापुख शासन सचिव, रामाज कल्याण विभाग।
3. महानिरेशक पुलिस
4. समरत संभागीय अध्युक्त
5. समरत महानिरीक्षक पुलिस रैज
6. समरत जिला बलवटर
7. रामस्त जिला पुलिस अधीक्षक
8. निरेशक जन राष्ट्रक निरेशालय जयपुर।
9. राष्ट्रित पनावली।

३२८८
शासन उप सचिव,

11 कार्यालय अतिरिक्त महानिरेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक:- ५८(१)यु.ब./म.ब./पलियो/०१/ ३७२३-६९ दिनांक:- ७-१०-०५

प्रतिलिपि :-

१. समस्त रैज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान गय उप महानिरीक्षक पुलिस, जी.आर.पी., अजगर।
२. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण गय जी.आर.पी., अजगर/जोधपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

३२८८
महानिरीक्षक पुलिस(एच.आर.)
सी.आई.डी. (सी.बी.), राजस्थान, जयपुर।